न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेफरेन्स प्रार्थना प्रकरण संख्या – 39/2016

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

1– अहमद नजीर पि0 माला कौम मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा तह. नसीराबाद।

2– फून्दी पत्नि माला (मृतक)

3– अल्लानूर पि. माला (मृतक) जरिये वारिसान :–

3/1 फिरोज पुत्र अल्लानूर

3/2 फरीदा पुत्री अल्लानूर

3/3 जरीना पुत्री अल्लानूर

समस्त कौम मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

..............अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956
सपठित धारा 232, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955

उपस्थित :– श्री शाहबुदीन खान — अभिभाषक अप्रार्थीगण 1

श्री ओमप्रकाश गुर्जर ऐडवोकेट — राजकीय अभिभाषक

आदेश

दिनांक –13.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या रेफरेन्स नम्बर रेफरेन्स/एलआर/2007/11180/अजमेर दिनांक 03.05.2016 को निर्णित किया जाकर पत्रावली पुनः इस निर्देशानुसार प्रतिप्रेषित की गई है कि प्रकरण में सर्वप्रथम श्री अल्लानूर के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर शेष अप्रार्थीगण को विधिवत रूप से सुनकर पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली पुनः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा हाजा न्यायालय को प्रेषित किए जाने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वरवक्त सुनवाई अप्रार्थी 3/1 से 3/3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उभयपक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रकट किया कि

ग्राम	खसरा नम्बर साबिक	रकबा	किस्म	खसरा नम्बर हाल	रकबा	किस्म
भीमपुरा	244	02–17–00	नाला	472	00–12–00	चा 1

संवत 1350 में शामलात देह में जैर आब किस्म नदी/नाला/तालाब आदि दर्ज थे, जो वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के डी.बी. जनहित याचिका 1536/2003 में उक्त विवादित आराजी की संवत् 1350 फसली के बाद किस्म परिवर्तन करना एवं धारा 16, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी दिया जाना विधि संगत नहीं

जिला कलक्टर,
अजमेर

माना है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश दिनांक 18.07.2003 की पालना में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी (Experts committee) की सिफारिशों के अनुसार उक्त विवादित आराजियात को "Original Shape & Use" प्रदान करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की जनहित याचिका संख्या 536/2003 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रश्नगत आराजी की खातेदारी एवं परिवर्तन किस्म निरस्त कर भूमि सरकारी खाते में किस्म नदी/नाला/तालाब आदि दर्ज करने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करने हेतु सिवायचक घोषित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेफरेन्स प्रकरण को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे।

प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर से प्राप्त होने पर तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट/रिकॉर्ड तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3/1 से 3/3 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर। तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त पटवारी हल्का भीमपुरा की मौका रिपोर्ट दिनांकित 16.08.2016 प्राप्त हुई, उक्त खसरा नम्बर 244 की राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में किस्म नाला दर्ज हैं। जिसे वापिस सिवायचक नाला दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है।

हमने पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध वर्ष 1947–48 संवत 1350 फसली के प्रश्नगत साबिक खसरा संख्या शामलात देह के नदी व नाले के रूप में दर्ज की। साबिक व हाल रेकार्ड तुलनात्मक रूप से अप्रार्थी के प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान जमाबंदी में किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदत्त कर दिये गये है। माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की डी.बी. जनहित याचिका में Experts committee द्वारा की गई सिफारिशों को प्रभावशाली बनाने हेतु दिये गये निर्देशो की पालना तथा राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रश्नगत आराजियात को वर्ष 1947 के समकालीन राजस्व रेकार्ड के मुताबिक भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार नसीराबाद से प्राप्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांकित 16.08.2016 प्राप्त हुई। उक्त खसरा नम्बर 244 की राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किस्म नाला दर्ज हैं। जिसे वापिस सिवायचक नाला दर्ज किया जाना कानूनन आवश्यक है। अतः उक्त भूमि को "Original Shape & Use" प्रदान करने हेतु सिवायचक नाला घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत भूमि को वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पुनः सिवायचक नाला दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रस्तुत किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 13.10.2025 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोक बन्धु)
जिला कलक्टर, अजमेर